प्रेस नोट **दिनांक 30.04.2026**

02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 02 अदद नाजायज चाकू बरामद –

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाया जा रहे अभियान के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर श्री कृष राजपूत के नेतृत्व में दिनांक 30.04.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग को दौरान जरिये मुखबिर की सूचना क्रमशः मु0अ0स0 125/26 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित अभियुक्त अनस सईद पुत्र अफजाल निवासी सरजू राय का पूरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ को रेलवे स्टेशन रोड़ मुन्शीपुरा शंकर जी मन्दिर के पास से व मु0अ0स0 124/26 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित अभियुक्त प्रदुम चौहान पुत्र छोटकन चौहान निवासी पठान टोला थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ उपरोक्त दोनो अभियुक्त के कब्जे से 01-01 अदद नाजायज चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया तथा चालान न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1. अनस सईद पुत्र अफजाल निवासी सरजू राय का पूरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
2. प्रदुम चौहान पुत्र छोटकन चौहान निवासी पठान टोला थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0स0 125/26 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट
2. मु0अ0स0 124/26 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट

एण्टी रोमियो टीम द्वारा कुल 12 स्टण्टबाजो / शोहदो का चालान एवं कुल 06 वाहनो को किया गया सीज -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद में चलाये जा रहे एण्टी रोमियो अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 30.04.2026 को थानाध्यक्ष बसन्त लाल थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ मय थाना स्थानीय की एण्टी रोमियो टीम के साथ थाना क्षेत्र में भ्रमणशील होकर स्कूल / कालेज , मन्दिर ,मस्जिद व चौराहो पर चेकिंग किया गया जिसमें दो पहिया वाहन पर तेज रफतार ,मनचले लड़के व स्टण्टबाजी करते हुये मोटरसाइकिल सवारों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान सन्दीग्ध रुप से घूमते हुए पाये गये शोहदो तथा

मनचलो को चेतावनी दी गयी तथा परिवारीजनो को बुलाकर हिदायत देकर बन्ध पत्र भी भरवाये गये । उसी क्रम मे वाहन चेकिंग की गयी । दौराने चेकिंग 12 स्टंट बाजों/शोहदों के विरुद्ध हिरासत में लेकर नियमानुसार कार्रवाई की गई तथा 6 वाहनों को सीज किया गया।

ईट के भट्टे पर मजदूर दिलाने के नाम पर अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये 8950 /- (आठ हजार नौ सौ पच्चास) रुपये थाना कोपागंज साइबर पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस -

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना कोपागंज जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये ईट के भट्टे पर मजदूर दिलाने के नाम पर अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये 8950 /- (आठ हजार नौ सौ पच्चास) रुपये पीड़ित विशाल यादव पता अलीपुर ,कोपागंज,मऊ 8950 रूपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना कोपागंज के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया ।साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 30.04.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 40 टीम गठित कर जनपद के 45 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1400 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 270 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

आपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 02 दोषसिद्ध अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व ₹14000 अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय asj/ftc-1 कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा जनपद दिनांक 30-04-2026 को मु0अ0सं0 1174/2010 धारा 302, 201 भादवि थाना दोहरीघाट जनपद मऊ में दोषसिद्ध अभियुक्त 1. अरविंद यादव पुत्र जयप्रकाश यादव 2. वीरेंद्र यादव पुत्र राम बच्चन यादव समस्त निवासी लाली थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को उक्त अपराध के लिए आजीव कारावास की सजा व ₹14000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर दोषसिद्ध को 02 वर्ष का सश्रम कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री राजेश पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री आरआर यादव तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी दुर्गेश कुमार थाना दोहरीघाट का सराहनीय योगदान रहा।